विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर

परिषद को राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के माध्यम से रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित

पृष्ठभूमि

परिषद की दिनांक 23 जून, 2013 को महेशनगर स्थित विजयवर्गीय धर्मशाला, जयपुर पर आयोजित आमसभा में वर्ष 2013–2015 अवधि के लिये परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय (नारायणपुर निवासी) द्वारा उपस्थित परिषद सदस्यों से राज्य सरकार के माध्यम से जयपुर में विजयवर्गीय समाज के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सामुदायिक केन्द्र व भारत वर्ष से जयपुर में अध्ययन हेतु आने वाले विजयवर्गीय छात्रों के लिये छात्रावास बनाने के लिये जयपुर में उचित स्थान पर पर्याप्त भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने के प्रयास की घोषणा की गई थी।

भूमि का आवंटनः

परिषद अध्यक्ष द्वारा जयपुर में रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के प्रयासों के अन्तर्गत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को दिनांक 25–06–2013 को परिषद एवं विजयवर्गीय समाज के उपयोग हेतु प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में 3000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया । विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त राजस्थान सरकार की मंत्रिमण्डल बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 12.09.2013 से विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को प्रतापनगर, सांगानेर के सेक्टर 26 में (एनआरआई के पास) पानी की टंकी के पास 2904 वर्गमीटर (लगभग 3500 वर्गगज) का भूखण्ड विभागीय आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर आवंटित किया गया।

केवल राजसेवकों के माध्यम से आवंटित भूमि की राशि का भुगतान

आवंटित भूमि की राशि का भुगतान केवल मात्र परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त राजसेवकों से प्राप्त सहयोग अनुदान राशि से किया गया।

आवंटित भूमि के पेटे आवासन मण्डल को भुगतानः

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 23.10.2013 को मांग पत्र जारी कर 18 लाख 28 हजार 822 रूपये जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये। आवासन मण्डल के अन्य मांग पत्र दिनांक 24.10.13 के अनुसार आवंटित भूमि पर स्थित चार दीवारी की निर्माण लागत रूपये 2.41 लाख एवं पत्र दिनांक 13.01.2014 के अनुसार चारदीवारी की निर्माण लागत की बकाया राशि रूपये 2 लाख 79 हजार 605 परिषद द्वारा आवासन मण्डल को जमा करा दी गई है।

कब्जा एवं अदेयता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्ररी व नक्शे के अनुमोदन की कार्यवाही

समस्त राशि जमा कराई जाकर भूखण्ड का कब्जा दिनांक 6–11–2013 लिया जाकर भूखण्ड का ले–आउट प्लान दिनांक 14.11.2013 प्राप्त किया गया तथा समस्त विभागीय कार्यवाहियां पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान आवासन मण्डल से उक्त भूखण्ड के पेटे अदेयता प्रमाण पत्र दिनांक 21–01–2014 प्राप्त किया गया।

इसके पश्चात नगर निगम, जयपुर से दिनांक 01 जुलाई,2016 को रजिस्ट्री करवाई गई है। भूमि पर होने वाले निर्माण के नक्शे आदि का अनुमोदन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को किया गया है तथा **भूमि का टाईटल "विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर" के पक्ष में** पूर्णतया हो चुका है।

विजयवर्गीय समाज बन्धुओं को भूमि की सौगातः

इस प्रकार परिषद प्रयासों एवं विजयवर्गीय राजसेवकों (सेवानिवृत्त सहित) से प्राप्त सहयोग राशि अनुदान से आवासन मण्डल की कुल मांग (18,28,822+2,41,000+2,79,605) राशि रूपये 23 लाख 49 हजार 427 डीडी के माध्यम से जमा कराते हुये रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जाकर विजयवर्गीय समाज के बन्धुओं को सौगात दी गई।

भूमि का नींव पूजन

भूमि आवंटन पर इस भूमि का नींव पूजन 29 जून ,2013 को स्वामीजी श्री रामदयालजी महाराज के कर–कमलों से समाज के महानुभावों की उपस्थिति में कराया गया ।

समाज भामाशाहों द्वारा अनुदान की भरपूर घोषणाः

भूमि की नींव पूजन कार्यक्रम के अवसर पर महाराजश्री की प्रेरणा से जयपुर समाज के अनेक भामाशाहों द्वारा दिल खोलकर अनुदान देकर व घोषणा करके ''संगम'' निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 1 करोड 25 लाख रूपये निर्माण कार्य के लिये देने की घोषणायें की गई थी।

भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भः

भूमि क्रय करने एवं निर्माण संबंधी नक्शे आदि अनुमोदित की सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 11 फरवरी, 2017 को स्वामीजी श्री रामचरण जी महाराज की जन्म जयन्ती दिवस पर विधिवत ''सगम'' विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ हुआ । जो निरन्तरण चल रहा है ।

भूमि निर्माण प्रोजेक्ट योजनाः

प्रथम चरण में अनुमोदित नक्शे के अनुसार भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड तथा सामुदायिक केन्द्र के रूप में भू–तल पर बहुउद्देशीय 20 फुट ऊचाई का बडा हॉल जिसमें लगभग 700 व्यक्तियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था, मेजेनाईल फ्लोर का **निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाकर फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है।**

निर्माण	एरिया	सुविधायें
Basement Floor	**2443 sq.ft.**	**AC Plant room/Storage**
Ground Floor	**7134 sq.ft.**	**Multipurpase Hall (20' H'), Office, Prefunction Area, Toilets**
Mezzanine Floor	**2733 sq.ft.**	**Office, Store**

भूमि पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधायें

भूखण्ड पर परिषद सदस्यों एवं समाजबन्धुओं के सहयोग से अभी तक उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्माण व अन्य कार्य कराये जा चुके है तथा परिषद एवं समाज के सामुदायिक कार्य के साथ ही समाज बन्धुओं को प्राथमिकता देते हुये व्यक्तिगत **उपयोग में लिया जाना प्रारम्भ किया जा चुका है।**

1. कार्यालय हेतु कमरा मय अन्य सुविधाओं के 2. सामुदायिक कार्यो हेतु ''रसोईघर'' मय स्टोर 3. चौकीदार आवास गृह 4. महिला–पुरूष शौचालय	5. आमजन के लिये ठंडे पानी की प्याऊ 6. पानी की सुविधा के लिये बोरिंग 7. विद्युत का थ्री फेस कनेक्शन एवं 8. 15हजार sq.ft. का लॉन

द्वितीय चरण में आधुनिक साज–सज्जा के साथ कमरे बनवाकर निर्माण कार्य पूरा किया जावेगा। जिसके अन्तर्गतः

निर्माण	एरिया	सुविधायें
First Floor	**11190 sq.ft.**	**Kitchen & Store, Dining Hall, Function Room,Three Rooms (with toilet & Dress), House keeping**
Second & Third Floor	**7704 sq.ft. (Each floor)**	**(Provision Each floor)** **11 Rooms (attach toilet & Dress) with Lobby area**

शेष भूमि पर लॉन लगवाकर सामाजिक कार्यक्रमों–सभा, सेमीनार, शादी समारोह आदि के उपयोग में लिया जावेगा। भवन में 2 आधुनिकतम लिफ्ट का प्रावधान किया गया है।

''संगम'' के अन्तर्गत परिषद व समाज बन्धुओं को सुविधायेंः

भूमि का उपयोग	परिषद एवं विजयवर्गीय समाज के समय–समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा– सांस्कृतिक, सेमीनार, विभिन्न सभायें, शादी समारोह हेतु। विजयवर्गीय समाज के जयपुर में शिक्षा ग्रहण हेतु आने वाले छात्रों के लिये छात्रावास हेतु निर्मित कमरों का उपयोग।
सदस्य	परिषद के सदस्य जिसने 1 लाख रूपये या इससे अधिक का अनुदान दिया हो प्रथम श्रेणी के, 51 हजार या इससे अधिक किन्तु 1 लाख रूपये से कम का अनुदान दिया हो द्वितीय श्रेणी के तथा 11000/– रूपये किन्तु 51 हजार से कम का अनुदान देने वाले ''संगम'' के तृतीय श्रेणी के स्थाई सदस्य कहलायेंगे।
संरक्षक मण्डल	1. ''संगम'' के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्य ''संगम'' संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। 2. विजयवर्गीय समाज के ऐसे अनुदानदाता जो 5 लाख या इससे अधिक का अनुदान देते है, ''संगम'' संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे।
राजसेवक परिषद के अनुदानदाता सदस्यों को सुविधा	1. ''संगम'' प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के सभी सदस्यों को कार्यक्रमों हेतु 70 प्रतिशत की छूट 2. ''संगम'' के तृतीय श्रेणी के सदस्यों एवं विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर सदस्यों को कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट 3. ''संगम'' प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्यों द्वारा समाज बन्धुओं के लिये अनुशंसा करने पर 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।
विजयवर्गीय समाज के अनुदानदाताओं को विशेष सुविधा	1. रूपये 5 लाख या इससे अधिक अनुदान राशि देने वाले अनुदानदाता– ''संगम'' संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। 2. ऐसे अनुदानदाताओं के कार्यक्रमों हेतु 70 प्रतिशत की छूट 3. ऐसे अनुदानदाताओं द्वारा समाजबन्धुओं के उपयोग हेतु सिफारिश करने पर 40 प्रतिशत छूट 4. रूपये 1 लाख या इससे अधिक अनुदान किन्तु 5 लाख रूपये से कम राशि देने वाले अनुदानदाताओं को कार्यक्रमों हेतु 70 प्रतिशत की छूट।

भवन का आरक्षण (बुकिंग)	''संगम'' स्थल/भवन का आरक्षण (बुकिंग) कार्यक्रम दिनांक से तीन माह पूर्व तक सभी विजयवर्गीय समाज बन्धुओं हेतु **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर किया जावेगा। उक्त अवधि के पश्चात समाज बन्धुओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिये भी आरक्षण (बुकिंग) भी किया जा सकेगा।
नामकरण	सभी ऐसे अनुदानदाता जिनके द्वारा रूपये 5100 या इससे अधिक राशि अनुदान दिया जाता है, निर्माण स्थल पर उनका अथवा उनके परिवारजन का नामकरण किया जावेगा।

आयकर में छूट का प्रावधान

आयकर की धारा 80जी के अन्तर्गत अनुदानदाताओं द्वारा दी जाने वाली राशि पर आयकर विभाग के आदेश संख्याः आ0आ0/जय–1/आ0अ0(त0 एवं न्या)/80–जी/2013–14/1154 दिनांक 14–02–14 के अन्तर्गत आयकर में छूट का प्रावधान है।

आर्थिक अनुदान हेतु अपील

सभी विजयवर्गीय बन्धुओं से अपील है कि समाज के उत्थान में किये जा रहे इस महान कार्य हेतु अपना आर्थिक अनुदान आयकर की धारा 80जी के अन्तर्गत छूट का लाभ प्राप्त करते हुये, प्रदान कर अपने को तथा समाज को कतार्थ करें। ताकि समाज उत्तरोतर प्रगति की राह पर बढ सके। आर्थिक अनुदान **विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद (संस्था)जयपुर के पक्ष में Axis Bank, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर के खाता संख्या 914010050647038, IFS CODE - UTIB0000626** में दिया जा सकता है।